

प्रश्न सं. [क. 1275]

12/10

मध्य प्रदेश राजपत्र, अंश 23 नवम्बर 2012

सदर इतर देने की तिथि - 03.03.2023 अंतरा 9.0.1275

पारिशीष्ट

1/5

माननीय विधायक का नाम - मौखरी सुनील कुमार सिंह

अनुपालन के प्रत्याभूतित मानदण्ड एवं प्रत्येक प्रकरण में त्रुटि हेतु उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति का स्तर

(Guaranteed Standards of Performance and Level of Compensation payable to consumers for default in each case)

सेवा क्षेत्र	प्रत्याभूतित मानदण्ड
(i) सामान्य फ्यूज ऑफ काल पर अनुक्रिया तथा सुधार कार्य	
शहर तथा नगर	कार्य दिवसों में 4 घंटों के अन्दर तथा अकार्य दिवसों में 5 घंटों के अन्दर
ग्रामीण क्षेत्र	24 घंटों के अन्दर
(ii) लाईन भंग (breakdown) के कारण विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना (खम्भों (पोल) का टूटना व सखड़ना असम्मिलित)	
शहर तथा नगर	दिन के प्रकाश में, 12 घंटों के अन्दर
ग्रामीण क्षेत्र	तीन दिवस के अन्दर
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर	
संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के अन्दर
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के अन्दर
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के अन्दर तथा मानसून के मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के अन्दर

अनुभाष अधिकारी
ऊर्जा विभाग
प्रसादन, म.प्र. शासन भवन